कार्यालय प्रमुख अभियंता
म.प्र. लोक निर्माण विभाग,सतपुड़ा भवन,द्वितीय तल भोपाल
web site: www.mppwd.gov.in email:-sepwdadminenc@mp.nic.in
Phone- 0755-2551316, Fax- 2556527

क्रमांक–301/070/2011/3778 भोपाल,दिनांक 24/12/2012

//आदेश//

मध्य प्रदेश शासन,लोक निर्माण विभाग के ज्ञाप क्रमांक–एफ–25–2/2010/स्था/19,दिनांक 12/12/2012 द्वारा प्राप्त अनुमति के परिप्रेक्ष्य में, लोक निर्माण विभाग में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दृष्टि से कार्यों के निरीक्षण हेतु स्वतंत्र क्वालिटी मानीटर्स के इम्पेनलमेंट आदेश क्रमांक–301/070/2011/911,दिनांक 3/4/2012 में निम्नलिखित सेवानिवृत्त अधिकारियों को शामिल किया जाता है :–

स. क्र.	अधिकारी का नाम	जिस पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, उसका पदनाम	पत्र व्यवहार का पता	दूरभाष
1	2	3	4	5
1	श्री एल.के.जैन,	मुख्य अभियंता	एच.बी.87,अभिरूचि परिसर,ओल्ड सुभाष नगर,भोपाल	09826740622
2	श्री गंगाधर बांगड़	अधीक्षण यंत्री	डी–107 चिनार रिट्रीट मैदा मिल होशंगाबाद रोड, भोपाल	09425175820
3	श्री एन.के.श्रीमाली,	अधीक्षण यंत्री	129,साकेत नगर, मिनीलैंड स्कूल, ओल्ड पलासिया, इंदौर	0731–2566660 09425307919

यह नियुक्तियां मध्य प्रदेश शासन,लोक निर्माण विभाग के ज्ञाप क्रमांक–25/02/2010/यो/19/5306,दिनांक 30/9/2011 में निहित निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन रहेगी :–

1. <u>क्वालिटी मॉनिटर्स के दायित्व</u> :–

1. क्वालिटी मॉनिटर्स प्रमुख अभियंता के निर्णयानुसार प्राक्कलन एवं प्रावधान के अनुरूप पूर्ण, अपूर्ण एवं निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण कर सुधार हेतु सुझाव प्रदान करेंगे साथ ही कार्य की प्रगति के संबंध में भी अपनी राय देंगे।
2. जिले से वापिस आने के पश्चात तुरंत क्वालिटी मानीटर्स कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रगति के संबंध में प्रतिवेदन अपना अभिमत सहित निर्धारित प्रपत्र में प्रमुख अभियंता को प्रस्तुत करेंगे। प्रमुख अभियंता प्रतिवेदन का अवलोकन कर संबंधित कार्यपालन यंत्री से उचित माध्यम के द्वारा आवश्यकता होने पर 15 दिवस के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट प्राप्त करेंगे।
3. क्वालिटी मॉनिटर्स को अपना निरीक्षण प्रतिवेदन कार्य की गुणवत्ता बढ़ाने संबंधी सुझाव पर केन्द्रित रखना चाहिये। निरीक्षण में पाये गये तथ्यों के लिये क्वालिटी मॉनिटर्स जवाबदेह होंगे। सतही स्तर का निरीक्षण मान्य नहीं होगा।
4. प्रमुख अभियंता के निर्देश पर क्वालिटी मॉनिटर्स द्वारा शिकायत से संबंधित कार्यों का निरीक्षण किया जा सकता है।
4. कार्य असंतोषप्रद पाये जाने पर क्वालिटी मॉनिटर्स द्वारा कार्य की गुणवत्ता में सुधार हेतु आवश्यक मार्गदर्शन लिया जावेगा, जिसमें स्तरहीन निर्माण सामग्री बदलने एवं क्रियान्वयन की सही तकनीक का उपयोग शामिल होगा।

2. यात्रा एवं पात्रता :–

1. क्वालिटी मानीटर्स को रेल की द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित एवं निचली श्रेणियों में अपने निवास स्थान से भ्रमण के जिले तक यात्रा करना अनुज्ञय है।
2. पारिश्रमिक भत्ता रूपये 3000/- प्रतिदिन के मान से देय होगा। अवधि निवास स्थान से यात्रा प्रारंभ करने से लेकर वापस समाप्त करने के समय तक मानी जावेगी।
3. टी.ए./डी.ए.नियमानुसार देय होंगे।
4. शासकीय विश्राम भवन/विश्राम गृह में स्थान उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में म.प्र. टूरिज्म की होटलों में अथवा अधिकतम रूपये 2000/- तक प्रतिदिन किराया वाले निजो होटलों में ठहरना अनुज्ञय होगा।
5. भोजन आदि पर समस्त व्यय स्वतंत्र क्वालिटी मॉनिटर्स द्वारा वहन किया जावेगा।
6. कार्यपालन यंत्री द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन से जिले के अंदर भ्रमण किया जावेगा। स्वतंत्र क्वालिटी मानीटर्स से अपेक्षा की जाती है,कि जिले की सीमा से बाहर वाहन नहीं ले जायेंगे।

(इंजी.अखिलेश अग्रवाल)
प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,मध्यप्रदेश,
भोपाल,दूरभाष-2551485

पृष्ठांकन कमांक-301/070/2011/3779 भोपाल,दिनांक 24/12/2012

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक,मान.मंत्री जी,लोक निर्माण विभाग,मध्यप्रदेश,भोपाल
2. प्रमुख सचिव,मध्य प्रदेश शासन,लोक निर्माण विभाग,मंत्रालय,भोपाल की ओर शासन के ज्ञाप कमांक-एफ-25-2/2010/सा/19,दिनांक 12/12/2012 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित
3. सचिव,मध्य प्रदेश शासन,लोक निर्माण विभाग,मंत्रालय,भोपाल
4. प्रबंध संचालक,मध्य प्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कारपोरेशन,भोपाल
5. मुख्य अभियंता(यो/ब)कार्यालय प्रमुख अभियंता,लोक निर्माण विभाग,भोपाल
6. प्रोजेक्ट डायरेक्टर(पी.आई.यू.)कार्या.प्रमुख अभियंता,लो.नि.वि.,मध्यप्रदेश,भोपाल
7. समस्त मुख्य अभियंता,लोक निर्माण विभाग,मध्यप्रदेश
8. समस्त अधीक्षण यंत्री,लोक निर्माण विभाग,मध्यप्रदेश
9. समस्त कार्यपालन यंत्री,लोक निर्माण विभाग,भोपाल
10. समस्त संभागीय परियोजना यंत्री,लो.नि.वि.,परियोजना कियान्वयन इकाई, मध्यप्रदेश,
11. प्रभारी अधिकारी,आई.टी.सैल,कार्या.प्रमुख अभियंता,लोक निर्माण विभाग,भोपाल
12. वरिष्ठ निज सहायक,प्रमुख अभियंता,लोक निर्माण विभाग,भोपाल
13. संबंधित अधिकारी के नाम से श्री..
....
....
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(इंजी.अखिलेश अग्रवाल)
प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,मध्यप्रदेश,
भोपाल,दूरभाष-2551485